

प्रावधानों के अनुसार उक्त म
कार्रवाई की आबेगी। फावली दि 20/2/19
के पत्र (E)

अपक्ष अधिकारी
द्वारा

20/2/19

फावली पेश हुई।
अधिकारी को कोरे में
पेश होने का कारण
पेश है।

10/4/19

Jy


10/4/19

बगीलवादी उपस्थित। बगीलवादी संख्या-6834/19
बगीलवादी को P/A सम्मन सही पत्र पर Reg MID
पेश करने हेतु काफी अवसर दिये जा चुके हैं। पत्र
लि में एक अन्तिम अवसर दिया जाकर फावली
दिनांक 13/4/2019 को पेश हो।

एस.डी.ओ.
द्वारा

13/4/2019

बगीलवादी उपस्थित। बगीलवादी संख्या-68
उपस्थित। बगीलवादी वाद में बगीलवादी संख्या 2 से 5
एवं 7 तक डेटु Reg MID से P/A सम्मन पेश
करने हेतु पूर्व में काफी समय दिये जाने, अन्तिम
अवसर 200 रु कोष भर अन्तिम मौका दिये जाने
के बावजूद P/A सम्मन आज तक पेश नहीं किये
गये। दिनांक 21/2/2019 के ^{अतिशय} अनुसार CPC के प्रावधानों
के मुताबिक वाद में कामवाही करने की हिदायत भी
अधिकार को दी गयी। इसके पश्चात् भी बगीलवादी 5/15
P/A सम्मन पेश नहीं किये गये। वर्ष 2015 के पश्चात्
फावली P/A सम्मन प्रस्तुत करने में ही चल रही है।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
	<p>परावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचन से पता चलता है कि अभिकर्ता बाडी को 4 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने, इन्सिफ शुद्धर देने, Cost पर इन्सिफ भौंटा दिया जाने के पश्चात् भी परिवर्तन की ललबी हेतु 1/11/1999 पेश की गयी जाने से CPC के प्रावधान आदेश-9(2) के तहत प्रकरण खारीय किया जाता है।</p> <p>परावली फैसल नुमाए होउर नम्बर से 5म ही। आदेश आज दिनांक 15/4/2019 को सरे - ... सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसुरी (पाली) </p>	